दिनांक 04.11.2015 को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से समस्त प्रकार की पेंशन एवं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्रेषित धनराशि के सापेक्ष फेल्ड ट्रांजेक्शन के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहेः-

1. श्री सौरभ गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
2. श्री जी0राम, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. श्री आर0एच0खान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
4. श्री आवेश कुमार हजेला, सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्यालय, लखनऊ।
5. श्री रनवीर पाण्डेय, मैनेजर आई0टी0, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, लखनऊ।
6. श्री आर0के0 सिंह, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, मुख्यालय।
7. श्री पी0के0 त्रिपाठी, उपनिदेशक, समाज कल्याण, मुख्यालय।
8. श्री हेमन्त अग्रवाल, सीनियर प्रोग्रामर, एन0आई0सी0, लखनऊ।

प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित समस्त प्रकार की पेंशन योजनाओं एवं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि मुख्यालय स्तर से अन्तरित की जा रही है। कुछ प्रकरणों में यह बात संज्ञान में आयी है कि क्रेडिट सक्सेज की रिपोर्ट दिखने के बाद भी धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में किसी कारणवश क्रेडिट नहीं हो पायी है। ऐसे अन्तरण में जो भी धनराशि अवशेष बचती है उस धनराशि एवं उसके लाभार्थियों का नाम व विवरण बैंक/पी0एफ0एम0एस0 द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे विभाग को यह जानकारी नहीं हो पा रही है कि पेंशन/छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत किन-किन लाभार्थियों को योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं हो सका।

फेल्ड ट्रांजेक्शन के बारे में महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार, राज्य एन0आई0सी0 के अधिकारियों, विभागीय अधिकारियों, बैंक अधिकारियों तथा पी0एफ0एम0एस0 के अधिकारियों के साथ दिनांक 04 जुलाई, 2015 को एक बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें पी0एफ0एम0एस0 द्वारा बेनीफिशरी फाइल एवं धनराशि से सम्बन्धित खातों में अंतरण तक समस्त स्तर की अद्यतन सूचना विभागीय अधिकारियों एवं एन0आई0सी0 को उपलब्ध करा दी जाने की अपेक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त ट्रान्जेक्शन फेल्ड होने की सूचना न मिलने के सम्बन्ध में संयुक्त महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार द्वारा अपनी टीम को यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि पी0एफ0एम0एस0 के पोर्टल पर एक मेसेज एलर्ट या कोई अन्य संकेत देने के सम्बन्ध में साफ्टवेयर में व्यवस्था की जाए।

यह भी निर्णय लिया गया था कि पी0एफ0एम0एस0 द्वारा बेनिफिशरी फाइल, ट्रान्जेक्शन फाइल एवं धनराशि के सम्बन्धित खातों में अंतरण तक समस्त स्तर तक की अद्यतन सूचना अपने वेब पोर्टल के माध्यम से विभागीय अधिकारियों एवं एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायी जाए।

दिनांक 29 जुलाई, 2015 को इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में पुनः बैठक की गयी थी, जिसमें विस्तृत विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक की जवाहर भवन शाखा द्वारा समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/विकलांग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/महिला कल्याण विभाग को प्रत्येक पी0एफ0एम0एस0 एडवाइस नम्बर के सापेक्ष वापस/फेल्ड

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी उपलब्ध करायेगी ताकि उसके आधार पर वापस हुई धनराशि का समायोजन किया जा सके और आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के कोषागार में असमायोजित धनराशि को जमा कराया जा सके। इस कार्य को प्राथमिकता पर दिनांक 31 अगस्त, 2015 तक पूर्ण करा लिये जाने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त विवरण समय से उपलब्ध हो जाने की दशा में इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल व छात्रवृत्ति पोर्टल पर धनराशि के अंतरण की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करने में सहु लियतहोगी।

वर्तमान समय में भी छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत फेल्ड ट्रान्जेक्शन के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसी एक टोकन के सापेक्ष कितने लाभार्थियों के खाते में धनराशि की क्रेडिट सक्सेज एवं कितने लाभार्थियों के खाते में धनराशि फेल्ड हु यीहै। धनराशि खाते में क्रेडिट न होने का क्या मुख्य कारण है। वित्त विभाग द्वारा भी फेल्ड ट्रान्जेक्शन के बारे में कोई दिशा-निर्देश अभी तक निर्गत नहीं किये गये हैं। जबकि उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि फेल्ड ट्रान्जेक्शन के सम्बन्ध में किस प्रकार वापस प्राप्त धनराशि का समायोजन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया वित्त विभाग, निदेशक, कोषागार, स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा पी0एफ0एम0एस0 की टीम के साथ वार्ता कर तय करेगी और इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश जारी करेगी। इस कार्य को प्राथमिकता पर विलम्बतम् 15 अगस्त, 2015 तक पूर्ण करने का निर्णय लिया गया था। उक्त कार्यवाही वित्त विभाग द्वारा अभी तक पूर्ण नहीं की गयी है। वित्त विभाग द्वारा प्राथमिकता पर शासनादेश निर्गत किया जाना आवश्यक है, ताकि बैंक में जमा असमायोजित धनराशि को राजकोष में जमा कराने की निर्धारित कार्यवाही सम्भव हो सके।

राज्य एन0आई0सी0 द्वारा यह अपेक्षा की गयी है PFMS द्वारा CPSMS आई0डी0 के साथ क्रेडिट आई0डी0 भी एन0आई0सी0 के साथ शेयर करें। जो फेल्ड ट्रान्जेक्शन हो रहे हैं, उनकी क्रेडिट आई0डी0 स्टेट बैंक द्वारा Excel Format में राज्य एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायें, जिससे राज्य एन0आई0सी0 द्वारा इसे http://sspy-up.gov.in Portal पर प्रदर्शित कराया जा सके।

बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया गयाः-

1- कोषागार द्वारा जारी टोकन नम्बर पी0एफ0एम0एस0 फाइल के माध्यम से बैंक के सर्वर तक सूचित करने के विषय में पहले की बैठकों में प्रक्रिया तय हु यीथी लेकिन यह अभी नहीं हो रहा है इससे टेजरी स्तर पर डेबिट स्क्राल ''खारजा (Marking off) में असुविधा होती है।

2- बैंक द्वारा वापसी/फेल्ड ट्रांजेक्शन की स्क्रोल शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी प्रणाली हमारे कार्पोरेट बैंक द्वारा विकसित की जा रही है। एन0आई0सी0 द्वारा प्रस्तावित पोर्टल पर बैंक द्वारा दी जाने वाली वापसी की स्क्रोल अपलोड की जा सकेगी परन्तु इसके लिये प्रत्येक क्रेडिट ट्रांजेक्शन का पी0एफ0एम0एस0 द्वारा जारी क्रेडिट रेफरेंस नंबर एन0आई0सी0 डाटा में उपलब्ध होना चाहिये।

3- कोषागार द्वारा पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अन्तिम रूप से पारित की गयी फाइलों की सूची बैंक को उपलब्ध करने की आवश्यकता है जिससे बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई फाइल कोषागार खाते से डेबिट होने से छूट न जाय। एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये जा रहे पोर्टल पर बैंक के लिये एक लागिन उपलब्ध करा देने से यह सूचना बैंक को प्राप्त हो सकेगी।

4- अन्य बैंकों द्वारा की जाने वाली वापसी में प्रायः आने वाली समस्यायें इस प्रकार हैं-

(1) ओरिजिनल यूटीआर नंबर नहीं होता है या गलत होता है।

(2) सामान्य नेफ्ट साइकल के बाद ट्रांजेक्शन वापस किया जाता है, कतिपय मामलों में 6 माह बाद भी वापसी पायी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वापसी का कारण सूचित नहीं किया जाता है।

(4) कम धनराशि की वापसी के मामले भी पाये गये हैं (यूनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक)

इनके सुधार हेतु अनेक ई-मेल भेजने के बाद ही सूचना मिल पाती है जो कि अधिकतर अधूरी रहती है। हमारे द्वारा सीएमडी स्तर तक भी अनेक ई-मेल भेजने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। वर्तमान में लगभग 900 ट्रांजेक्शन की सूचना वांछित है। यह समस्यायें जिला सहकारी बैंक (द्वारा आईसीआईसी, बैंक), ग्रामीण बैंक के साथ भी है जो कि अन्य बैंक का आई0एफ0एस0 कोड प्रयोग कर रहे हैं।

निम्नलिखित बैंकों के आई0एफ0एस0 कोड से आने वाले ट्रांजेक्शन पर इस प्रकार की समस्यायें पायी जाती हैं-

केनरा बैंक, कार्पोरेशन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक आफ इण्डिया, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सिंडीकेट बैंक, बैंक आफ बडौदा, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, सेन्ट्रल बैंक, आईडीबीआई, ऐस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, नैनीताल बैंक लि0 ।

स्टेट बैंक के प्रतिनिधि द्वारा यह आग्रह किया गया कि वापसी का विवरण प्राप्ति तत्काल एवं प्रभावी होने के लिये इस प्रणाली का सुधार आवश्यक है एवं सरकारी/उच्च स्तर पर इन बैंकों को नेफ्ट वापसी के सही तरीके का पालन करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिलाये जायँ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

उत्तरप्रदेश शासन,
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या: 1387/2015 /26-3-2015
लखनऊ: दिनांक: 19 नवम्बर ,2015

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री सुबोध कुमार माथुर, संयुक्त महालेखा नियंत्रक भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. श्री आलोक कुमार वर्मा, उप महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग।
4. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन महिला कल्याण विभाग।
5. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछडा वर्ग कल्याण विभाग।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
8. निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।
9. निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण/महिला कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. श्री सौरभ गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
12. श्री आर0एच0खान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
13. श्री राज चटर्जी, जनरल मैनेजर एवं बिजनेस, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14. श्री आवेश कुमार हजेला, सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्यालय, लखनऊ।

15. योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति/वृद्धावस्था पेंशन, समाज कल्याण/विधवा पेंशन, महिला कल्याण/विकलांग पेंशन, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।